न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 215/2022

तारीख रजू :– 29.09.2022

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

आम जनता ग्राम पंचायत लपावली तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

जरिये:–

1. बाबूलाल पुत्र रामसिंह आयु 70 साल
2. प्रताप सिंह पुत्र कन्नू आयु 65 साल
3. धर्मसिंह पुत्र गिर्राज आयु 65 साल
4. बबलू पुत्र रामप्रसाद आयु 60 साल
5. धनसिंह पुत्र रामरूप आयु 70 साल
6. गंगाप्रताप पुत्र हरभान आयु 75 साल
7. जगन पुत्र मनोहर आयु 68 साल
8. रामजीलाल पुत्र दिलसुख आयु 55 साल
9. श्रीलाल पुत्र हरी आयु 60 साल

(1 से 9) समस्त जाति गुर्जर, निवासी लपावली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

10. मुकेश पुत्र बुधराम आयु 46 साल जाति प्रजापत निवासी लपावली तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत लपावली, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला करौली, (राज0) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लपावली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)
2. राजस्थान सरकार तामील जरिये जिला कलक्टर करौली (राज0)
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार जी तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बावत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी

उपस्थित :– 1 श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण

2 पेराकार सरकार तहसीलदार बालघाट अप्रार्थीगण नं0 2 व 3

निर्णय दिनांक– 27/08/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा [illegible] प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 हे0 गै0मु0 [illegible] बाकै ग्राम लपावली तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) स्थित है जिसका साबिक खसरा नम्बर 360 मिन रकवा 60 बीघा 04 विस्वा किसम गैरमुमकिन आबादी दर्ज साबिक राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रहा है। साबिक में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड रही एवं वर्तमान में उक्त आराजी किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है इस प्रकार उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 में वैस्ट करती है। उक्त भूमि पर मौके पर भी मुतनाजा पर सैकडों सालों से आ दिन तक वादी आम जनता ग्राम लपावली की आबादी बसी हुई है जिस पर सैकडों आमजनता ग्राम लपावली की आबादी बसी हुई है। जिस पर सैकडों परिवार पुख्ता मकानियात निर्मित कर निवास कर रहे है, लेकिन दौराने सेटिलमेन्ट अधिकारीगण कर्मचारीगण ने भूल से अपने अधिकारों से परे जाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका उक्त आराजीयात की साबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज वास्तविक एवं सही किस्म गै0मु0 आबादी को हजफ कर गलत एवं खिलाफ मौका किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी जो काबिले दुरूस्ती है।

बांका दिनांक 01.06.2022 एवं उसके पूर्व भी कई बार वादी आम जनता ग्राम लपावली द्वारा प्रतिवादी नं0 3 को निवेदन किया कि साबिक किस्म गै0मु0 आबादी को सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण द्वारा खिलाफ कानून राजस्व हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। जिसके कारण आबादी भूमि से संबंधी किसी योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिये आप वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी की गलत किस्म गै0मु0 रास्ता को हजफ करके उसके वास्तिविक एवं सही किस्म गै0मु0 आबादी मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड कार्यवाही कर दुरूस्त किया जावे, आम जनता लपावली को उक्त दुरूस्ती करने का झूठा आश्वासन देकर संतुष्ट कर दिया और कोई कार्यवाही नहीं की गई। दोबारा दिनांक 08.06.2022 को पुनः निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी आम जनता लपावली से उक्त दुरूस्ती बावत स्पष्ट इन्कार कर दिया और न्यायालय में चाराजोरी करने को कहा, इसके बाद वादी आम जनता लपावली द्वारा प्रतिवादीगण को एक लीगल रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 30.08.2022 को दिया जिसमें प्रतिवादीगण से नोटिस प्राप्त कर अन्दर दो माह में उक्त दुरूस्ती कराने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है ना ही कोई जबाव ही दिया है, इसलिये यह दावा बावत् इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र के हाल राजस्व रिकार्ड सेटिलमेन्ट अधिकारीगण व कर्मचारीगण की भूल से गलत दर्ज हो गई किसम गै0मु0 रास्ता को दुरुस्त कर मुताबिक मौका व मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड किस्म गै0मु0 आबादी दुरूस्त किये जाने से प्रतिवादीगण को कोई किसी प्रकार की हकतलफी नहीं होगी और यदि उक्त प्रकार की दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी आम जनता लपावली को भारी हकतलफी होगी जिसकी पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी भी संभव नहीं हो सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

आम जनता लपावली के प्रतिनिधिगण संख्या 1 ता 10 ग्राम लपावली के मूल निवासी है जिनके सैकड़ों साल से अपने पूर्वजों के समय से उक्त आराजीयात पर पुख्ता रिहायश निर्मित हो रही है, एंव अपने परिवार सहित रिहायश कर रहे है। इस प्रकार उनका उक्त आराजीयात में हित निहित है और उनको माननीय न्यायालय में दावा पेश करने का कानूनन पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विनाय दावा वादीगण वखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 08.06.2022 को दुरूस्ती बावत् इन्कार करने से एवं दिनांक 30.08.2022 को जारी विधिक रजिस्टर्ड नोटिस का आज दिन तक कोई जबाव नहीं देने से एवं उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करने से बखिलाफ प्रतिवादीगण पैदा हुई है। अतः दावा वादी वखिलाफ प्रतिवादीगण बावत् इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर इस अम्र की घोषणा की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 बांके ग्राम लपावली की किस्म गै0मु0 आबादी है एवं उक्त आराजी की गलत दर्ज हो गई किसम गै0मु0 रास्ता को हजफ किया जाकर गलत किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर वास्तविक एवं सही किस्म गै0मु0 आबादी दुरूस्त की जाकर खर्चा मुकदमा बहक वादीगण वखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादी नं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं0 2 व 3 की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पैरोकार ने जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम लपावली की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 47, 48, 122, 126, 342, 126/1585, 126/1586 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2033–2036 के खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 360 रकवा 60 बीघा 14 विस्वा गै0मु0 आबादी सिवायचक दर्ज रिकार्ड जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 तक यथावत दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043–2062 के साबिक खसरा नम्बर 360 मि0 रकवा 60 बीघा 04 विस्वा गै0मु0 आबादी के नवीन खसरा नम्बर 47 रकवा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 कुईया खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0, खसरा नम्बर 122 रकवा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 कुईया, खसरा नम्बर 126 रकवा 7.63 आबादी, खसरा नम्बर 342 रकवा 0.01 किस्म गै0मु0 कुईया, खसरा नम्बर 126/1585 रकवा 0.30 [illegible] किस्म गै0मु0 सड़क, खसरा नम्बर 126/1586 रकवा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 सडक बनाये गये। मु[illegible] क्षेत्रफल 2043–2062 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 360 के नवीन खसरा [illegible] बनाये गये परन्तु दौराने सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 48 की किस्म गै0मु0 [illegible] के स्थान पर गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी गई तथा हाल नक्शा सीट के खसरा नम्बर [illegible] में आबादी का चिन्ह अंकित

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में खसरा नम्बर 48 के मौके पर सघन आबादी बसी हुई है। राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं हो इसके लिये उक्त खसरा नम्बर 48 को राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड ही रखा जाने हेतु निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार की जबाव प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली में तनकीयात निम्नप्रकार कायम की गई।

1. आया यह है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 ग्राम लपावली में गैर मुमकिन आबादी है। जबकि उक्त गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज हो गई है जो गलत है। गैर मुमकिन रास्ता से गैर मुमकिन आबादी दर्ज कराने के हकदार है।

(जिम्मे वादी)

2. आया यह है कि आराजी खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 किसम गैर रिकार्ड में रास्ता दर्ज है। जबकि पुराने रिकार्ड में खसरा नम्बर किस्म गैर मुमकिन आबादी में दर्ज किये जाने से सरकार हित प्रभावित नही। उक्त खसरा नम्बर 48 को सरकार के रिकार्ड में रखा जावे।

(जिम्मे प्रतिवादी)

वादी वकील द्वारा तनकीयात का अवलोकन किया, अपनी सहमति जाहिर की अतः उक्तानुसार तनकीयात स्पष्ट की गई।

वादी वकील ने वादी की ओर से मुकेश, श्रीलाल, हरस्वरूप, रामप्रताप ने दिनांक 18.12.2024 को शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 19.05.2025 को पैरोकार सरकार की ओर हल्का पटवारी लपावली ने जिरह की। पटवारी ने शपथ पत्र मय प्रतिवादी साक्ष्य करवाये जो तस्दीकर होकर शामिल पत्रावली किये गये।

मैने वादीगण अधिवक्ता एवं पैरोकर सरकार की बहस सुनी बहस सुनी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा [illegible] में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 48 रकवा [illegible] 4 है0 [illegible] के ग्राम लपावली की किस्म गैर मुमकिन आबादी है एवं उक्त आराजी [illegible] दर्ज हो गई किस्म गैर मुमकिन रास्ता को हजफ किया जाकर गलत किस्म गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर वास्तविक एवं सही किस्म गैर मुमकिन आबादी दुरूस्त की जावे [illegible] प्रतिवादी नं0 2 व 3 की ओर से पैरोकर सरकार द्वारा अपने जबाव के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 48 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 360 रकवा 60 बीघा 04 विस्वा में से बना है। जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में खसरा नम्बर 360 रकवा 60 बीघा 04 विस्वा किस्म गै0मु0 आबादी अंकित है तथा इसके पश्चात् जमाबन्दी 2037–40 में खसरा नम्बर 360 की किसम गै0मु0 आबादी दर्ज है। साबिक नक्शा सीट में खसरा नम्बर 360 में आबादी का निशान अंकित है एवं वर्तमान नक्शा सीट में भी खसरा नम्बर 48 में आबादी का निशान अंकित है। खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में मौके पर ग्राम की आबादी बसी हुई है तथा कच्चे पक्के मकानात बने हुये है जो लगभग 70–80 वर्ष पुराने है। साविक नक्शा सीट वर्तमान नक्शा सीट व साबिक जमाबन्दी रिकार्ड मौका स्थिति खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की किस्म को गै0मु0 आबादी दर्ज किया जाना उचित होना वताया है।

तनकीबार निर्णय

1. आया यह है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 ग्राम लपावली में गैर मुमकिन आबादी है। जबकि उक्त गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज हो गई है जो गलत है। गैर मुमकिन रास्ता से गैर मुमकिन आबादी दर्ज कराने के हकदार है। वादी पक्ष के हक में निर्णित की जाती है।

(जिम्मे वादी)

2. आया यह है कि आराजी खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 किसम गैर मुमकिन रिकार्ड में रास्ता दर्ज है। जबकि पुराने रिकार्ड में खसरा नम्बर किस्म गैर मुमकिन आबादी में दर्ज किये जाने से सरकार हित प्रभावित नही। उक्त खसरा नम्बर 48 को सरकार के रिकार्ड में रखा जावे। प्रतिवादी के हम में निर्णित भूमि की किस्म परिवर्तन कर रिकॉर्ड दुरूस्ती के तहत अनुतोष भूमि सरकार में खाते जिम्मन नं0 1 में ही खाता संख्या 01 में ही यथावत रहेगी।

(जिम्मे प्रतिवादी)

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। हाल [illegible] 48 [illegible] है0 किस्म गै0मु0 रास्ता साबिक खसरा नम्बर 360 रकवा 60 बीघा 04 [illegible] आबादी से बने है। तहसीलदार रिपोर्ट से भी स्पष्ट है [illegible] आबादी के निशान अंकित है तथा वर्तमान नक्शा सीट में खसरा नम्बर 48 रकवा [illegible] है0 में भी आबादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

निशान अंकित है। मौका रिपोर्ट में भी मौके पर सघन आबादी बसी हुई है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम लपावली के आराजी खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता साबिक खसरा नम्बर 360 रकवा 60 बीघा 04 विस्वा किस्म गै0मु0 आबादी से बने है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बालघाट की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर को खाता संख्या 1 में यथावत रखते हुये आराजी खसरा नम्बर 48 रकवा 5.14 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता को हजफ कर किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:31 IST
Reason: SelfAttested